

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-15.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.इदरीश पुत्र अब्दुल राशिद 2.तमजीद 3.तमहीद 4.जुनैद पुत्रगण इदरीश 5.नाजिम पुत्र हनीफ 6.आजम पुत्र बहाज 7.तैसीफ पुत्र अब्दुल रसीद 8.मगरूल पुत्र बहाज खॉ निवासीगण नगला दाऊद थाना कमालगंज जिला फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 30/2024 वाद संख्या 110/2025 व 286/2025 धारा 147,308,148,148,448,452,427,504,506 भादवि० थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-०१ कोर्ट द्वारा दिनांक 15.07.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को ०५-०५ वर्ष के कारावास की सजा व 10000/- 10000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल



को० मो० - हे०का० अजय कुमार



पैरोकार - हे०का०मो० हारुन

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-15.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.आसिफ मुन्ना पुत्र अकबर 2.वसीम खान पुत्र वशीर खान 3.सादाब खान पुत्र अकील खान 4. बाबर खान पुत्र स्व० सराफत खान 5.अरशद खान उर्फ अक्कू पुत्र युसुफ खान 6.अमीर खान पुत्र अहर खान 7.तशरीफ शानू पुत्र अकील खान 8.अब्दुल मन्नान ईशान पुत्र इरशाद खान निवासीगण नगला दाऊद थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद मु०अ०स०- 09/2024 वाद संख्या 421/2024 व 514/2024 धारा 452,147,148,149,506,504,302 भादवि० थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-०१ कोर्ट द्वारा दिनांक 15.07.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को ०८-०८ वर्ष के कारावास की सजा व 10000/- 10000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल



को० मो० - हे०का० अजय कुमार



पैरोकार - हे०का०मो० हासन

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-15.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.आसिफ मुन्ना पुत्र अकबर 2.वसीम खान पुत्र वशीर खान 3.सादाब खान पुत्र अकील खान 4. बाबर खान पुत्र स्व० सराफत खान 5.अरशद खान उर्फ अक्कू पुत्र युसुफ खान 6.अमीर खान पुत्र अहर खान 7.तशरीफ शानू पुत्र अकील खान 8.अब्दुल मन्नान ईशान पुत्र इरशाद खान निवासीगण नगला दाऊद थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद मु०अ०स०- 09/2024 वाद संख्या 421/2024 व 514/2024 धारा 452,147,148,149,506,504,302 भादवि० थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-०१ कोर्ट द्वारा दिनांक 15.07.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को ०८-०८ वर्ष के कारावास की सजा व 10000/- 10000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल



को० मो० - हे०का० अजय कुमार



पैरोकार - हे०का०मो० हारसुन

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दि० 15.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र तेजराम निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु०अ०सं०-66/2002 वाद संख्या 349/2002 धारा 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 15.07.2026 को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार



को० मो० -हे० का० राजेन्द्र सिंह



पैरोकार -हे० का० श्याम जी

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दि० 15.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र तेजराम निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु०अ०सं०-66/2002 वाद संख्या 349/2002 धारा 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 15.07.2026 को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार



को० मो० -हे० का० राजेन्द्र सिंह



पैरोकार -हे० का० श्याम जी